

NITM
08243/20
16/01/21

8073/20

Ulan 01/31

75



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP11641194494691S
Certificate Issued Date	: 03-Nov-2020 03:18 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ MORADABAD/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0116989590995601S
Purchased by	: MS LOHIA INFRASTRUCTURE PVT LTD
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILLAGE PAKWARA TEH. AND DISTT. MORADABAD (KHASRA NO. 560)
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MS LOHIA INFRASTRUCTURE PVT LTD
Second Party	: MS LOHIA DEVELOPERS INDIA PVT LTD
Stamp Duty Paid By	: MS LOHIA INFRASTRUCTURE PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 2,16,000 (Two Lakh Sixteen Thousand only)

~~190~~
190
KOF
10



Verified By

Locked By

-----Please write or type below this line-----



LB 0011576948

Statutory Alert:


The authenticity of this e-Stamp certificate should be verified at www.showstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Company (SHCIL) in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid. The users checking the authenticity is on the users of the certificate. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

बयनामा

बयनामा	28,25,000 / -रु०
मालियत	30,81,000 / -रु०
स्टाम्प	2,16,000 / -रु० //

हम कि मैसर्स लोहिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० 5ए-114, फर्स्ट फ्लोर तिलकनगर नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर विभोर कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायन कुमार गुप्ता निवासी 9, 10 राजन इन्कलेव सिविल लाईन्स शहर व जिला मुरादाबाद विक्रेता (प्रथम पक्ष) एवम मैसर्स लोहिया डवलपर्स इण्डिया प्रा० लि० दिल्ली रोड मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायन कुमार गुप्ता निवासी 9, 10 राजन इन्कलेव सिविल लाईन्स शहर व जिला मुरादाबाद क्रेता (द्वितीय पक्ष) के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी खाता संख्या 00092 खसरा संख्या 560 रकबई 0.979 हैक्टे० लगान बमुजिब खतौनी में से 0.195 हैक्टे० स्थित ग्राम पाकबड़ा तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर प्रथम पक्ष (विक्रेता) बहैसियत भूमिधर मालिकाना मालिक काबिज व दखील है। प्रथम पक्ष को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय

(Vknbb


(mm)


करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। विक्रय की जाने वाली आराजी इस वक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी व गैर सरकारी व कुर्की व किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी व पाक व साफ है। गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। न ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने वाली आराजी की बावत विक्रेता (प्रथम पक्ष) ने किसी अन्य व्यक्ति को इकरारनामा या बयनामा नहीं किया है तथा न ही इस आराजी की बावत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के पूर्णतया अपनी सदबुद्धि से यह आराजी मुबलिंग 28,25,000 / -रु० (अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार रूपये) आधे जिसके 14,12,500 / -रु० (चौदह लाख बारह हजार पांच सौ रूपये) होते हैं द्वितीय पक्ष (क्रेता) (मैसर्स लोहिया डवलपर्स इण्डिया प्रा० लि० दिल्ली रोड मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता निवासी 9, 10 राजन इन्कलेव

Vkubis



mmu



सिविल लाईन्स शहर व जिला मुरादाबाद) को वय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्ब तफसील जैल द्वितीय पक्ष क्रेता से वसूल पाकर तमामी शय मुबईया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है। आज के बाद से आराजी मजकूर की बावत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जखाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कोई सर्फा मजीद खर्चा अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी। अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का

(V. K. K. K.)



(Signature)



नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले। प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं।

नोट-विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के भाग 2 प्रारूप 4 पृष्ठ 42 वी-कोड 1017 के अनुसार 1,58,00,000/-रु० (सामान्य कृषि भूमि आबादी से संलग्न) प्रति हैक्टे० निर्धारित है। जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है। विक्रीत आराजी किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है। विक्रीत आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में एवं मौके पर तथा आस-पास खेती हो रही है। आराजी में कोई पेड़, कूप, भवन, आदि नहीं है। विक्रेता ने उपरोक्त खसरा नम्बर में अपने भाग में से केवल 0.195 हैक्टे० भूमि विक्रय की है इस विक्रय पत्र के द्वारा कुल 0.195 हैक्टे० भूमि विक्रय की गई है।

Vikrmas



माम



तफसील वसूली जरे समन-मुबलिग 28,25,000/-रु0 बजरिये चैक
संख्या 780169 दिनांक 02.11.2020 पंजाब नेशनल बैंक मुरादाबाद प्रथम
पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त
कर लिये हैं।

2,16,000/-रु0 का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर

IN-UP11641194494691S अदा किया गया है।

विक्रेता

VK 411



क्रेता

[Signature]



गवाह

172411

फुरकान हुसैन

पुत्र श्री खलील अहमद

निवासी ग्राम सब्जीपुर

तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद

गवाह

हीरालाल

[Signature]

पुत्र श्री चन्द्र सिंह

निवासी हरथला अम्बेडकर

कालोनी मुरादाबाद

बयनामा हाजा आज दिनांक 11.11.2020 ई0 को बमुकाम मुरादाबाद
बड़करार पक्षकारान बमशवरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट शुभम
भटनागर ने टाईप किया।




[Signature]



नजरी नक्शा आराजी काशत भूमिधरी खसरा संख्या 560 रकबई 0.979
हैक्टे० में से 0.195 हैक्टे० स्थित ग्राम पाकबड़ा तहसील व जिला
मुरादाबाद

प्रथम पक्ष - मैसर्स लोहिया डवलपर्स इण्डिया प्रा० लि०
द्वितीय पक्ष - मैसर्स लोहिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०

नोट :- विक्रीत आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में खेती हो
रही है।



Vkub8


NTM
 कास संख्या-T 2020/3540/08243
 आदेश 150-09



आवेदन सं०: 202000719033192

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12967 के पृष्ठ 301 से 314 तक क्रमांक 8073 पर दिनांक 11/11/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


 प्रवीण कुमार यादव
 उप निबंधक, सदर द्वितीय
 मुरादाबाद
 11/11/2020



भाग 1

प्रत्युत्कर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

क्र. संख्या : 202000715033192 क्रम 2020265017009

मदर द्वितीय मुरादाबाद

प्रत्युत्कर्ता या प्रार्थी का नाम बिनय कुमार गुप्ता

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 2825000 / 3081000

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 30810

2. प्रतिनिधिकरण शुल्क 60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुज्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 30870

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2020-11-11 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2020-11-11 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक द्वितीय
मुरादाबाद

08073/20